भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5437** जिसका उत्तर

गुरूवार, **25 जुलाई, 2019/3** श्रावण, **1941** (शक) को दिया जाना है

भारत और मालदीव के बीच यात्री और कार्गो

सेवाओं हेतु समझौता ज्ञापन

5437. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः

डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

श्री कुलदीप राय शर्माः

श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मालदीव के बीच यात्री और कार्गो सेवाओं की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लक्ष्य/उद्देश्य क्या है;

(ख) इसके द्वारा किस हद तक दोनों देशों के बीच समुद्र के द्वारा यात्री और कार्गो परिवहन को बढ़ावा मिलने की संभावना है;

(ग) दोनों देशों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और उक्त समझौता ज्ञापन से भारत को किस हद तक लाभ होने की संभावना है;

(घ) समझौता ज्ञापन को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या भारत ने मालदीव के साथ लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए फेरी सेवा का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस तरह व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) जी, हां। व्यक्तियों और माल के परिवहन के लिए एक वैकल्पिक, सीधा और कम खर्चीला साधन उपलब्ध करा कर दोनों देशों की जनता के मध्य संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से माले में दिनांक 8 जून, 2019 को भारत और मालदीव के मध्य यात्री और कार्गो सेवाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ख) और (ग) यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। इस समझौता ज्ञापन में कोच्ची और मालदीव में माले/कुल्हुघुफ्फुशी, अथवा आपसी सहमति से किन्हीं अन्य पत्तनों के बीच नियमित यात्री और कार्गो फेरी सेवा की परिकल्पना की गई है। भारत और माले के बीच समुद्र द्वारा सम्पर्कता से अंतर्गामी पर्यटन, विशेष रूप से स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

(घ) इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के लिए व्यापार/कार्गो क्षमता, अवसंरचना/अधिरचना सुविधाओं, जलयान विनियोजन एवं सेवा प्रतिमान आदि का पता लगाने के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन चलाया जा रहा है। व्यवहार्यता अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) जी, हां। दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में कोच्ची और मालदीव के माले/ कुल्हुघुफ्फुशी, अथवा आपसी सहमति से किन्हीं अन्य पत्तनों के बीच नियमित यात्री और कार्गो फेरी सेवा की परिकल्पना की गई है। भारत और माले के बीच समुद्र द्वारा सम्पर्कता से अंतर्गामी पर्यटन विशेष रूप से स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती से जुड़े पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तथापि, प्रस्तावित फेरी सेवा में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर आजीविका व्यवसाय की परिकल्पना नहीं की गई है।

*****